

1  
ST NO 73 of 2017  
CNR NO UPM001-000459-2017  
State V/s safaraj and others.  
And  
ST N- 595 of 2017  
State Vs Hamis Hussian  
CNR NO UPM001-006552-2017

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या—13,  
मुरादाबाद।**

उपस्थित—नीतू यादव (एच.जे.एस.)

**सत्र वाद संख्या 73 सन 2017**

उत्तर प्रदेश राज्य ..... अभियोजन पक्ष।

**बनाम**

1. सरफराज पुत्र हामिद हुसैन निवासी रहमत नगर करुला थाना कटघर जिला मुरादाबाद।
2. शमशुल पुत्र हामिद हुसैन निवासी रहमत नगर करुला थाना कटघर जिला मुरादाबाद।

.....अभियुक्तगण।

अपराध संख्या —1130 / 2016  
धारा—498ए,304बी भा.दं.सं. व  
वैकल्पिक धारा 302 सपठित धारा 34,  
भा.दं.सं.व 3 / 4 डी.पी.एक्ट  
थाना— कटघर ,  
जनपद मुरादाबाद।

**सत्र वाद संख्या—595 / 2017**

उत्तर प्रदेश राज्य ————— अभियोजन पक्ष

**प्रति**

हामिद हुसैन प्रति अब्दुल लतीफ निवासी रहमत नगर करुला थाना कटघर जिला मुरादाबाद। ..... अभियुक्त।

अपराध संख्या —1130 / 2016  
धारा—498ए,304बी भा.दं.सं. व  
वैकल्पिक धारा 302 सपठित धारा 34,  
भा.दं.सं.व 3 / 4 डी.पी.एक्ट  
थाना— कटघर ,  
जनपद मुरादाबाद।

**निर्णय**

सत्र परीक्षण संख्या 73 / 2017 राज्य प्रति सरफराज आदि, अपराध संख्या 1130 सन 2016, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद में अभियुक्त सरफराज एवं शमशुल का विचारण धारा 498ए व 304बी भा.द.स. एवं धारा 3 / 4 दहेज प्रतिशेष अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों के लिये किया गया।

सत्र परीक्षण संख्या 595 सन 2017 राज्य प्रति हामिद हुसैन अपराध संख्या 1130 सन 2016, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद में अभियुक्त हामिद हुसैन का विचारण धारा 498ए व 304बी भा.द. स. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों के लिये किया गया।

उक्त दोनों सत्र वाद एक ही घटना, एक ही अपराध संख्या से सम्बन्धित होने के कारण समेकित किये गये। परीक्षण संख्या 73/2017 राज्य प्रति सरफराज आदि की पत्रावली को अग्रणी सत्रवाद माना गया तथा इसी पत्रावली में साक्ष्य अंकित की गई। तदनुसार उक्त दोनों सत्र परीक्षण वादों का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

अभियोजन कथानक वादी मुकदमा जेनुददीन द्वारा दी गयी लिखित सूचना के आधार पर इस प्रकार है कि ..... वादी मुकदमा ने अपनी बेटी परवीन जहां की शादी अरसा करीब पांच साल पूर्व सरफराज पुत्र हामिद हुसैन, निवासी गली नं01 रहमत नगर करुला, थाना कटघर, के साथ की थी। प्रार्थी ने शादी के वक्त अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था किन्तु उसका पति सरफराज, उसकी सास श्रीमती शमशूल, ससुर हामिद हुसैन देवर सिराज व साजिद शादी में दिये गये दहेज से खुश नहीं थे और आये दिन प्रार्थी की लड़की से दहेज में एक लाख नकद व कार की मांग करते थे तथा उसे गाली गलौच करते व मारपीट करते। आज सुबह लगभग 6 बजे प्रार्थी को खबर मिली कि प्रार्थी की लड़की को उक्त सभी ने मिलकर एक राय होकर दहेज की मांग को लेकर जान से मार दिया है। प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार वालों ने अपने बेटी की ससुराल आकर देखा प्रार्थी की लड़की की लाश पड़ी है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जाये।.....

वादी की उपरोक्त लिखित तहरीर **प्रदर्श क-1** के आधार पर थाना कटघर, जिला मुरादाबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क-8** अपराध संख्या 1130/16, अन्तर्गत धारा 304 बी, 498ए भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम 1961, राज्य बनाम सरफराज आदि किता की गयी तथा पुलिस प्रपत्रों में आवश्यक प्रविष्टियां करते हुए, मुकदमा पंजीकृत हुआ।

तत्पश्चात लिखित तहरीर **प्रदर्श क-1** के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना ग्रहण की गयी। विवेचना में विवेचक द्वारा इटना स्थल पर पहुंचकर घटना स्थल का नक्शा नजरी **प्रदर्श क-10** तैयार किया गया तथा गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्रं0स0 अंकित किए गए। पंचायत नामा **प्रदर्श क-2** तथा मृतका का पोस्ट मार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श क-3** प्राप्त किया गया तथा विवेचना के दौरान संकलित किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण सरफराज, शमशूल व हामिद हुसैन के विरुद्ध अपराध संख्या

1130 / 16 धारा 304 बी ,498ए भा0दं0सं0 व 3 / 4 डी0पी0 एकट के अधीन अलग अलग आरोप पत्र प्रदर्श क-11 प्रेषित किया गया। आरोपपत्र पर प्रसंज्ञान लेने के बाद अभियोग विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरादाबाद, द्वारा दिनांक 17-11-2017 को सत्र सुपर्द किया गया।

अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये। उनको अन्तर्गत धारा 207 द.प्र.सं. अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गई। आरोप विरचित किए जाने के बिन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण वाद 73 / 2017 व सत्र परीक्षण वाद 595 / 2017 में अभियुक्तगण सरफराज, शमशुल एवं हामिद हुसैन के विरुद्ध धारा 304बी., 498ए भा0दं0सं0 व धारा 3 / 4 डी0पी0 एकट के अधीन दिनांक 19-07-2017 को आरोप विरचित किये गये तथा इसी दिनांक को अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 302 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत वैकल्पिक आरोप भी विरचित किया गया। जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक व आरोपों को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य में अभियोजन साक्षी संख्या-1 वादी मुकदमा जैनुदीन, अभियोजन साक्षी संख्या 2— नूर जहां, अभियोजन साक्षी संख्या 3—कमरूल निशा , अभियोजन साक्षी संख्या-4 शाहजहां, अभियोजन साक्षी संख्या-5 कययूम, अभियोजन साक्षी संख्या -6 लियाकत सिंह पंचनामा का साक्षी , अभियोजन साक्षी संख्या 7—मकसूद हुसैन पंचनामा का साक्षी, अभियोजन साक्षी संख्या 8—गुलशन जहां पंचनामे का साक्षी, अभियोजन साक्षी संख्या 9—युनुश पंचनामा का साक्षी,अभियोजन साक्षी संख्या -10 मौह0 यासीन पंचनामा का साक्षी,अभियोजन साक्षी संख्या 11— रईस अहमद पंचनामा का साक्षी, अभियोजन साक्षी संख्या 12— डा0 शेर सिंह ककड़, अभियोजन साक्षी संख्या 13—सुनीता सिंह अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय,अभियोजन साक्षी संख्या 14— का0 अशोक कुमार , अभियोजन साक्षी संख्या 15— सी.ओ. महेश कुमार विवेचक प्रथम तथा अभियोजन साक्षी संख्या 16—विजय प्रताप सिंह को परीक्षित कराया गया। अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में लिखित तहरीर हिन्दी वादी प्रदर्श क-1,, मृतका का पंचनामा प्रदर्श क-2, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-3, फोटो नाश प्रदर्श क-5, चिट्ठी सी0एम0ओ0 प्रदर्श क-5, नमूना मोहर प्रदर्श क-6, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक प्रदर्श क-7, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-8 जी.डी. कायमी मुकदमा प्रदर्श क-9, नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्श क-10, आरोप पत्र प्रदर्श क-12 किये गये हैं। अभियोजन

पक्ष ने अपनी साक्ष्य समाप्त की ।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में जिन साक्षियों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है न्यायालय के अभिमत में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण, अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि करने से पूर्व, यह आवश्यक है कि उन अभियोजन साक्षियों की मुख्य परीक्षा का संक्षिप्त वर्णन किया जाये ।

**अभियोजन साक्षी संख्या-1 वादी मुकदमा जैनुददीन पुत्र बशक उददीन** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि,

“ मेरी बेटी परवीन जहां की शादी साढ़े पांच साल पूर्व सरफराज के साथ की थी। मैंने शादी के समय अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। परन्तु मेरी बेटी के पति सरफराज सास शमशुल ससुर हामिद हुसैन देवर सिराज और साजिद शादी में दिये गये दान दहेज से प्रसन्न नहीं थे। वह मेरी बेटी से एक लाख रुपये नकद तथा एक कार की मांग करते थे। उसके साथ गाली गलौज मारपीट करते थे। दिनांक 30-9-16 को सुबह 6 बजे मुझे खबर मिली कि उपरोक्त सभी मुल्जिमान ने एक राय होकर दहेज की मांग को लेकर परवीन जहां को मार दिया है। मैंने अपने परिवार वालों के साथ परवीन जहां की ससुराल आया तो देखा कि मेरी बेटी की लाश उसके घर के बरामदे में चारपाई पर पड़ी है। कमरूल इस्लाम से तहरीर लिखाकर मैंने थाना कटघर पर दी थी। मुझे पढ़कर सुनायी नहीं गयी थी। मैंने उस पर अगूंठा लगवाया था। गवाह को मूल तहरीर दिखाई तो अगूंठा पहचाना जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया जब हम लड़की के ससुराल पहुंचें तब उसके ससुराल वाले घर से भागे हुये थे। मैंने व मेरी पत्नी ने लाश को देखा तो उसके दाहिने पैर व अन्य अगों पर हाथ में और शरीर में 8-9 छोटे थे। मैंने सी.ओ. साहब का घटना स्थल दिखाया था और अपना बयान दिया था। ” साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई

**अभियोजन साक्षी संख्या-2 नूरजहां पत्नी लियाकत ने मुख्य परीक्षा में कहा है कि**

“ परवीन जहां मेरे जेठ की लड़की थी उसकी शादी सरफराज के साथ हुई थी। परवीन जहां के दो बच्चे जो हमारे यहां रह रहे हैं। परवीन जहां समय पर शादी के बाद घर आती थी तो उससे बातचीत होती थी। उसने बातचीत के दौरान कभी मुझे अपने पति सरफराज ससुर हामिद व सास शमशुल निशा के बारे में यह कभी नहीं बताया कि यह लोग दहेज मांगते हैं और दहेज की मांग को लेकर उसको परेशान करते हैं।”

इस गवाह को इस स्तर पर अभियोजन की ओर से पक्ष द्वाही साक्षी घोषित किया गया है।

**अभियोजन साक्षी संख्या -3 कमरूल निशा पत्नी मौह० युसुफ** ने सशपथ बयान किया है कि,

“ परवीन जहां मेरी छोटी नन्द थी उसकी शादी सरफराज के साथ हुई थी। शादी में दान दहेज दिया था। जब मेरी नन्द परवीन जहां मायके आती थी तो उसकी मुझसे बातचीत होती थी तो परवीन जहां ने कभी भी अपने पति सरफराज ससुर हामिद सास शमशुल निशा के बारे में कुछ नहीं कहा कि यह लोग मुझसे दहेज की मांग करते हैं और दहेज के लिये मुझे परेशान करते हैं।”

**अभियोजन साक्षी संख्या –4 शाहजहां पत्नी जैनूददीन** है ने सशपथ मुख्य परीक्षा में इस आशय का बयान किया कि... “ मेरे कुल 8 बच्चे हैं जिसमें 3 बेटी और पांच लड़के हैं। मेरी पुत्री परवीन जहां छठे नम्बर की थी। घटना से पाच साल पहले सरफराज से निकाह किया था। हमने शादी में दान दहेज लिया था। शादी के बाद मेरी पुत्री के दो बच्चे हुये थे। जिनमें एक लड़का व एक लड़की है। मेरी पुत्री के पति सरफराज सास शमशुल ससुर हामिद ने न तो दहेज की मांग की न ही उसके साथ मारपीट की। ”

**अभियोजन साक्षी संख्या –5 कययूम पुत्र नसरुददीन** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में इस आशय का बयान किया कि ....

“ घटना दिनांक 30-9-16 की है। हिना परवीन मेरी भतीजी थी हिना की मौत की खबर सुनकर हम लोग मौहल्ला रहमत नगर हिना की ससुराल आये थे। हिना मरी पड़ी थी। मौके पर मजिस्ट्रेट ने पचायत नामा भरा था। मुझे पंच नियुक्ति किया था मैनें पचायत सुनने के बाद अपना अगूंठा लगाया था। गवाह ने पचायत नामें की पुश्त पर अपना अगूंठा लगाया था। गवाह ने पचायते नामें की पुश्त पर अपना अगूंठा पहचाना है और कहा कि यह वहीं पचायत नामा है जो मजिस्ट्रेट साहब ने मौके पर भरा था और मेरा अगूंठा लगवाया था जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया।”

**अभियोजन साक्षी संख्या– 6 लियाकत हुसैन पुत्र बसरुददीन** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में इस आशय का बयान किया कि ,

“ दिनांक 30-9-16 को मेरी भतीजी हिना परवीन की मौत की सूचना पर मौहल्ला रहमत नगर थाना कटघर हिना परवीन की ससुराल गया था। वहां पर हिना परवीन मृत पड़ी थी। हिना परवीन का पचायत नामा तहसीलदार सुनीता सिंह ने भरा था। मुझे पंच नियुक्ति किया था मेरा निशानी अगूंठा लगवाया था। पचायत नामें पर गवाह ने अपना निशानी अगूंठा पहचाना है। तस्दीक करता हूं जो तहसीलदार साहब ने मौके पर लगवाया था जो पचायत नामा पत्रावली पर प्रदर्श क-2 है। ”

**अभियोजन साक्षी संख्या –7 मकसूद हुसैन पुत्र बशीरुददीन** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में इस आशय का बयान किया कि...

“ दिनांक 30-9-16 को मेरी भतीजी परवीन जहां

की मौत की सूचना पर जब हमारे गांव में मिली तो हम सब परिवार के लोग और गांव के लोग परवीन जहां की ससुराल रहमत नगर आये परवीन जहां का पचनामा मजिस्ट्रेट द्वारा मेरे सामने भरा गया था मौके पर उसने अपने हस्ताक्षर किये थे जो पत्रावली पर प्रदर्श क-2 है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। मैं आज तस्दीक करता हूँ। ”

**अभियोजन साक्षी संख्या –8 गुलशन जहां पत्नी युनुस ने सशपथ मुख्य परीक्षा में इस आशय का बयान किया कि....**

“ परवीन जहां मेरी नन्द थी। परवीन जहां हमारे यहां आती थी तब ससुराल की सारी बात मुझे बताती थी। | परवीन जहां की मौत की खबर पर मैं उसे देखने गयी थी। मैंने उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं देखे। मेरी नन्द की मौत के जिम्मेदार सरफराज, शमशुल और हामिद नहीं है। ”

इस गवाह को अभियोजन पक्ष की याचना पर पक्ष द्वाही साक्षी घोषित किया गया है।

**अभियोजन साक्षी संख्या –9 मौह० युनुस पुत्र जैनुददीन ने सशपथ मुख्य परीक्षा में इस आशय का बयान किया कि....**

“ मृतका मेरी सगी बहन थी। उसकी शादी घटना से 6 साल पहले अभियुक्त सरफराज के साथ हुई थी। मेरी बहन परवीन जहां को उसके ससुराल वाले पति सरफराज सास शमशुल और ससुर हामिद हुसैन मेरी बहन परवीन जहां को राजी खुशी रखते थे। दहेज के लिये इन लोगों ने मेरी बहन के साथ कभी मारपीट नहीं की थी। न ही प्रताडित किया था। परवीन जहां की मौत की खबर पर मैं उसे देखने गया था। मैंने उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं देखें थे। मेरी बहन का पंचायत नामा मजिस्ट्रेट ने मेरे सामने भरा था मुझे पंच नियुक्त किया था और पंचायतनामे पर मेरे दस्तखत कराये थे। गवाह ने पंचायत नामा प्रदर्श क-2 पर अपने हस्ताक्षर पहचाने हैं और कहा कि यहीं मेरे हस्ताक्षर है। मेरी बहन की हत्या उसके ससुराल वालों उपरोक्त लोगों ने नहीं की थी। ”

इस गवाह को अभियोजन की याचना पर पक्ष द्वाही साक्षी घोषित किया गया है।

**अभियोजन साक्षी संख्या –10 मौहम्मद यासीन पुत्र जैनुददीन ने सशपथ मुख्य परीक्षा में इस आशय का बयान किया कि....**

“ मृतका परवीन जहां मेरी सगी बड़ी बहन थी। इसकी शादी घटना से 6 साल पहले सरफराज के साथ हुई थी। सरफराज व शमशुल और हामिद मेरी बहन को दहेज के लिये परेशान नहीं करते थे और नहीं गाड़ी व रूपये मांगते थे और न ही मारपीट करते थे। ”

इस गवाह को अभियोजन पक्ष की याचना पर इस स्तर पर

पक्ष द्वाही साक्षी घोषित किया गया है।

**अभियोजन साक्षी संख्या -11 रईस अहमद पुत्र मौह0 सददीक** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में इस आशय का बयान किया कि....परवेज जहां की मौत की सूचना पर में लियाकत मकसूद , मौह0 कययूम ,मौह0 युनुस के साथ मौह0 रहमत नगर में दिनांक 30-9-16 को परवीन जहां का पचायत नामा मेरे सामने मजिस्ट्रेट ने भरा था मुझे पंच नियुक्त किया था।

**अभियोजन साक्षी संख्या -12 डा. शेर सिंह कक्कड़** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में इस आशय का बयान किया कि....

दिनांक 30-9-16 को मैं शव विच्छेदन की डयूटी पर टीम सहित उपस्थित था । उक्त दिनाक को मृतका परवीन जहां पुत्री जैनुद्दीन पतनी सरफराज जैसा कि साथ भेजे गये पुलिस प्रपत्रों में अकित था। शव को तहसीलदार ज्यूडीशियरी सुनीता सिंह तहसील सदर द्वारा भेजा गया था । शव सील बन्द अवस्था में था। हमारे द्वारा सील मिलाने पर सही पायी गयी एंवं खोली गयी । शव को थाने वाले आरक्षी 2624 रवी कान्त एंवं लेडी होमगार्ड 2070 तबस्सुम थाना कटघर द्वारा शव का विच्छेदन हेतु लाया गया था। उपरोक्त पुलिस कर्मियों के द्वारा शव पहचान कराने के पश्चात मौहम्मद यासीन पुत्र जैनुद्दीन एंवं मकशूद हुसैन द्वारा शव की पहचान व शिनाख्त कराई गयी थी।

**बाह्य परीक्षण-** लम्बाई 142 से.मी.शरीर मध्य व औसत कद काठी एंवं मध्यम कद काठी । मृत्यु पश्चात अकड़न दोनों उपरी व निचली भुजाओं पर उपस्थित । मल द्वारा मल से सना हुआ पाया गया । दो पुराने जख्म के निशान पेट पर सामने की तरफ नाभी से नीचे उपस्थित पाये गये। नेत्र लालिमा युक्त । मुख गुहा सामान्य पांव के अगूठों के सारे नाखून नीले रंग लिये हुये थे दोनों हाथों पर मेंहदी लगी हुई थी। दांत 15 / 15 थे।

### **मृत्यु पूर्व चोटें-**

1—निशान नीलगू आकार 5 x 3 से मी. अगूठे के आधार पर ।

2—निशान नीलगू आकार 1 x 1 से.मी. दाहिनी अलया नाम हड्डी के उभार पर उपस्थित ।

3—एक खरोंच युक्त नीलगू निशान दाहिनी अन्दर की तरफ उभरी हुई हड्डी पर (मीडियम मैलोली राईट) आकार 4 से.मी. x 3से.मी. ।

4—एक खरोंच युक्त नीलगू निश्सान दाहिनी अगूठे के पृष्ठ पर।

5—निशान नीलगू दाहिने तलबे पर आगे की तरफ आकार 6 x 2 से.मी. ।

6—एक खरोंच बाये बडे आगूठे पर आकार 0.5 x 0.5 से.मी.था।

7—बहुसंख्यक खरोंच के निशान बाये गाल पर 32 से.मी.0 के क्षेत्रफल के आधार 0.3 से.मी. x 0.2 से.मी.0 से 0.3 x 0.4 से.मी.जो

कि बाये मुख के किनारे से एक से.मी.दूर था।

**8—एक खरौच का निशान नाक पर बायी तरफ आकार 0.3 0.5 से.**

**मी.नाक की टिप से एक से.मी.उपर था।**

### आन्तरिक परीक्षण —

**1—सिर व मस्तिष्क लालिमा युक्त**

**2—ग्रीवा सामान्य**

**3—छाती दोनो फेफड़े तिल्ली लालिमा युक्त हृदय दाहिनी भरा हुआ बाया हिस्सा खाली ।**

**4— गुदर आमाशय में 200 एम.एल. ग्रे रंग का तीक्छ स्मैल खुशबू उपरिथित । आमाशय की डिल्लीया लालिमा युक्त पाई गयी । छोटी आंत में कायम व गैस उपरिथित । छोटी आंत लालिमायुक्त पायी गयी थी । बड़ी आंत में मल और गैस उपरिथित थी । यकृत टिलिया दोनो गुर्दे लालिमा युक्त पाये गये । जननाग में नान ग्रेविट ।**

**राय—** हमारी राय में मृतका की मृत्यु का कारण निर्धारण करना सम्भव नहीं था । अतः उसके आवश्यक अगों को सुरक्षित करते हुए रासायनिक परीक्षण हेतु साथ आये आरक्षियों को सील बन्द अवस्था में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दिये थे । साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद पेपर संख्या 5/47 ता 5/52 पोस्ट मार्टम रिपोर्ट को देखकर कहा कि यह हमारे द्वारा तैयार की गयी । पोस्ट मार्टम रिपोर्ट पर मेरे दस्तखत है । तसदीक करता हूं इस पर प्रदर्श क-3 डाला गया । मृतका की मृत्यु पूर्व जो चोटें थीं उसके साथ मारपीट करने से आ सकती है । इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि मारपीट के समय पीड़िता को घसीटा हो तो भी यह खरौचें चोटे आ सकती है । विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पत्रावली पर पेपर संख्या 5/45 में बिसरा के भागों कम संख्या 1 ता 5 में एल्मोनियम फरस्फाईड विष पाया गया परन्तु ये कम संख्या 6 व 7 में अंकित नमूने में नहीं था । प्रतिपरीक्षा में चिकित्सक साक्षी द्वारा यह कहा गया कि यह चोटें रिक्शे से गिरने रिक्शा दुर्घटना ग्रस्त होने पर इस प्रकार की चोटें मजरूब को आ सकती हैं ।

**अभियोजन साक्षी संख्या –13 सुनीता सिंह अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय ने सशपथ मुख्य परीक्षा में इस आशय का बयान किया कि....” मैं दिनांक 30-9-16 को तहसीलदार न्यायिक के पद पर जनपद मुरादाबाद में सदर तहसील में तैनात था । दिनांक 30-9-16 को थाना कटघर क्षेत्र में दहेज हत्या होने की सूचना पर मेरी डयूटी मृतका परवीज जहां के पचायत करने में लगायी गयी थी । मैंने मृतका परवीन जहां का पचायत नामा थाना कटघर पुलिस की मौजूदगी में भरा था । पंचायत नामा मैंने बोलकर भरवाया था और पंचायत नामा के उपरान्त शव को पोस्ट मार्टम करने हेतु जिला अस्पताल भेजा था । मैंने पंचायत नामा में अपनी राय को लेख**

व हस्ताक्षर में लिखा था कि मृतका परवीन जहां की मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। उसकी मृत्यु का कारण जानने के लिये पोस्ट मार्टम कराया जाना आवश्यक है। पचायत नामें पर मेरे दस्तखत है तसदीक करती हूं। पचायत नामें पर पूर्व में प्रदर्श क-2 डाला जा चुका है। पचायत नामें के दौरान मैंने मृतका के शरीर पर निम्न चोटें पाई :—

- 1— दाहिने पैर के अगूठे पर चोट व नीलगू निशान।
- 2—दाहिने पैर के अगूठे पर चोट व नीलगू निशान।
- 3—दाहिने हाथ के गटटे पर चोट व नीलगू निशान

पंचायतनामें के साथ मैंने फोटो लाश, चिट्ठी सी.एम.ओ. , रिपोर्ट आर.आई.नमूना मोहर तैयार करके पोस्ट मार्टम हेतु भेजे गये थे जिस पर क्रमशः प्रदर्श क-4 ता क-7 डाला गया। इस सम्बन्ध में विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

#### **अभियोजन साक्षी संख्या -14 तहरीर लेखक का०**

**अशोक कुमार** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में इस आशय का बयान किया कि....दिनांक 30-9-16 को मैं थाना कटघर पर कार्यालय पर नियुक्त था उक्त दिनांक को समय 13-30 पी.एम. बजे पर वादी मुकदमा जैनुददीन उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत अपनी पुत्री परवीन जहां को दहेज की मांग को लेकर मांग पूरी न होने पर अभियुक्तगण सरफराज ,शमशुल,हामिद हुसैन,सिराज व साजिद ,द्वारा हत्या कर देने के सम्बन्ध में दाखिल तहरीर के आधार पर अपराध संख्या 1130 / 16 धारा 498ए,304बी भा.दं.सं. व 3/4 डी.पी.एकट के विरुद्ध महिला कास्टेबल राजबाला शर्मा द्वारा कम्प्यूटर पर मेरे द्वारा बोलकर अंकित कराया गया जिसका खुलासा जी.डी. में रपट नं० 20 समय 13-30 बजे पर उसी दिनांक को किया गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद पेपर संख्या 4/1 ता 4/4 चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखकर कहा कि यह वहीं प्रथम सूचना रिपोर्ट है जो मेरे द्वारा बोल बोलकर मेरे द्वारा लिखायी गयी थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर है। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रदर्श क-8 डाला गया व पत्रावली पर संलग्न पेपर संख्या 5/10 जी.डी. पर प्रदर्श क-9 डाला गया। इस सम्बन्ध में विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।....

**अभियोजन साक्षी संख्या -15 प्रथम विवेचक महेश कुमार सी.ओ.** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में इस आशय का बयान किया कि.... दिनांक 1-10-16 को मैं सी०ओ० कटघर के पद पर तैनात था। उस दिन मुझे अपराध संख्या 11130 / 16 धारा 498ए भा.दं.सं. व 3/4 डी०पी० एकट थाना कटघर ,बनाम सरफराज आदि जिसके वादी जैनुददीन है की विवेचना प्राप्त हुई। उस दिन मेरे द्वारा नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट नकल रपट बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक बयान सी.सी.टी.एस. अंकित किया गया। उसी दिन वादी की निशादेही पर निरीक्षण घटना स्थल किया गया। निरीक्षण

घटना स्थल नक्शा नजरी पत्रावली पर पेपर संख्या 5/54 के रूप में मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। तस्दीक करता हूं। इस पर प्रदर्श क-10 डाला गया। मेरे द्वारा समई साक्ष्य के रूप में मौहम्मद लईक,अहमद व शान राज के बयान अंकित किये गये। दिनांक 8-10-16 को अभियुक्त सरफराज को गिरफ्तार कर उसके बयान अंकित किये। दिनांक 10-10-16 को मृतका परवीन जहां का बिसरा परीक्षण हेतु एफ.एस.एल.मुरादाबाद में दाखिल किये जाने की प्राप्ति रशीद प्राप्त कर केस डायरी में अंकित किया गया। दिनांक 18-10-16 को मृतका के पचायतनामें की अवलोकन किया गया तथा केस डायरी में अंकित किया गया तथा पोस्ट मार्टम को ले जाने वाले कास्टेबल रवि कान्त तथा महिला होम गार्ड तबस्सुम के बयान अंकित किये तथा उसी दिन पंचायत नामा मजिस्ट्रेट सुनीता सिंह तहसीलदार सदर ,के बयान अंकित किये तथा पंचायत नामें के गवाह मासूद हुसैन ,लियाकत ,मौ0 युनुस व मौह0 कययूम व रईस अहमद के बयान अंकित किये उसके उपरान्त अभियुक्त सरफराज का रिमान्ड लिया गया।.....

**अभियोजन साक्षी संख्या -16 विजय प्रताप यादव**  
**द्वितीय विवेचक ने सशपथ मुख्य परीक्षा में इस आशय का बयान किया कि....ने सशपथ मुख्य परीक्षा में इस आशय का बयान किया कि....**

दिनांक 28-10-16 को मैं थाना कटघर में बतौर सीओओ नियुक्त था। उस दिन मुझे अपराध संख्या 1130/16 धारा 498ए.304 बी भा.दं.सं. व 3/4 डी.पी.एक्ट बनाम सरफराज आदि थाना कटघर की विवेचना ग्रहण की थी। मुझ से पूर्व की विवेचना सी.ओ. महेश कुमार द्वारा की गयी थी। मैंने पूर्व में किता केस डायरी में नक चिक कायमी रपट प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक के बयान सी.सी.टी.एन.एस. के बयान वादी मुकदमा जैनुददीन के बयान और नक्शा नजरी घटना स्थल व समई साक्ष्य पंचायत नामा व पोस्ट मार्टम भरने वाले अधिकारी सदर तसलीदार व पंच नामें के गवाह आदि का अवलोकन किया। दिनांक 8-11-16 को वादी जैनुददीन के मजीद बयान लिये तथा मृतका श्रीमती परवीन जहां की मां शहनाज गवाह नूरजहां ,कमरुलनिशा, गुलशन जहां के बयान केस डायरी में अंकित किये गये इन सभी गवाहों ने मुझे बयान दिये थे और मुझे बताया कि सभी मुल्जिमान ने परवीज जहां से एक लाख रुपये व चार पहिये की गाड़ी की मांग करते थे न देने पर उसे मार दिया और शादी को लगभग 5 साल ही हुये थे। उसके बाद मैंने मृतका के चाचा लियाकत ,भाई युनुस व मौ0 यासीन के बयान लिये थे और केस डायरी में अंकित किये थे। शेष अभियुक्तगण के घरों में दबिश दी गयी तलाश की गयी नहीं मिले और वारण्ट प्राप्त करने के लिये न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया। दिनांक 15-11-16 को अभियुक्तगण शमशुल ,हामिद हुसैन ,

सिराज व राशिद के वारण्ट न्यायालय से प्राप्त हुये और केस डायरी में विवरण लिखा । दिनांक 20-11-16 को उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित मृतका परवीन जहां की विसरा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें मृतका की मृत्यु एल्यूमिनयम कासफाई विष पाया गया जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई । एफ.एस.एल. रिपोर्ट का विवरण केस डायरी में अंकित किया गया । दिनांक 20-12-16 को अभियुक्ता शमशुल को उसके मकान से समय करीब 7-10 ए.एम. पर गिरफ्तार किया गया जिसे थाना कटघर में लाकर रपट नम्बर 13 समय 7.40 ए.एम. पर दाखिल किया गया जिसका विवरण केस डायरी में अंकित किया और महिला आरक्षी के माध्यम से अभियुक्ता शमशुल निशा के बयान केस डायरी में अंकित किये । तमामी विवेचना व संकलित साक्ष्य के आधार पर मैंने मुकदमा अपराध संख्या 1130 / 16 में अभियुक्तगण सरफराज, शमशुल के विरुद्ध धारा 498ए, 304बी भा.दं.सं. व 3/4 डी0पी0एकट में आरोप पत्र अवर न्यायालय में प्रेषित किया जो पत्रावली पर कागज संख्या 3/1 व 3/2 , 3/3 व 3/4 है पहचानता हूं। इस पर मेरे हस्ताक्षर है । आरोप पत्र पर प्रदर्श क-11 डाला गया । शेष अभियुक्तगण हामिद हुसैन, सिराज व साजिद के विरुद्ध विवेचना प्रचलित रही । बाद में शेष अभियुक्तगण के स्थानों पर दबिस दी गयी और दस्तयाब नहीं हुये । दिनांक 17-3-17 को अभियुक्त हामिद हुसैन, के उसके घर समय करीब 11-50 बजे दबिश देकर गिरफ्तार किया गया ओर थाना कटघर लाकर हवालात में दाखिल कर बयान अंकित किये गये । दिनांक 31-3-17 को अभियुक्त हामिद का न्यायालय से रिमाण्ड लिया गया । इसके उपरान्त मेरा स्थानान्तरण हो गया और मेरे से विवेचना ले ली गयी ।

अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 अभिलिखित किये गये जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताते हुए साक्षीगण के बयानों को गलत बताया तथा मुकदमा रंजिशन चलना बताया । अभियोजन प्रदर्श पत्रों की प्रमाणिकता स्वीकार की गयी और उसमें वर्णित विवरण को स्वीकार न किये जाने का कथन नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त अन्य कोई कथन नहीं किया गया है ।

मैंने अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से परिशीलन किया ।

### निष्कर्ष

राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी फौजदारी ने यह तर्क किया है कि इस प्रकरण की मृतका परवीन

जहां की शादी के सात साल के अन्दर आरोपित अभियुक्तगण सरफराज पति, श्रीमती शमशुल पत्नी हामिद सास एवं हामिद हुसैन ससुर के द्वारा अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये व कार की मांग करते हुए उसे तंग, प्रताड़ित व मारपीट कर हत्या कर दी है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मृतका के शव से लिये गये बिसरा में एल्मोनियम फासफाईड जहर के सेवन से मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में कारित की गई तथा मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व 8 चोटें आयी हैं, जिनके बारे में कोई स्पष्टीकरण बचाव पक्ष की ओर से नहीं दिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा सम्यक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये।

बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई सुसंगत साक्ष्य नहीं है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये किसी भी साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, कोई ठोस एवं पर्याप्त साक्ष्य अभियोजन कथानक के समर्थन में नहीं है। अभियोजन साक्षीगण ने मृतका को मृत्युपूर्व आई चोटों के बारे में यह कहा है कि मृतका को रिक्शा से गिर जाने के कारण उक्त चोटें आई हैं। मृतका ने दवा के स्थान पर चूहे मारने की दवा खा ली थी, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिये उन्हें दोषमुक्त किया जाये। अपने तर्क के समर्थन में बचाव पक्ष की ओर से निर्णयज विधियां राजेश बनाम स्टेट आफ हरियाणा 2019 एस0सी0, गंगूला मोहन रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ ए 0पी0 2016 एस0सी0, बुद्धिमन सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी02018 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बिश्वजीत हल्दर उर्फ बाबू हल्दर व अन्य बनाम स्टेट आफ वेर्स्ट बंगाल2007 एस0सी0, महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2019 एस0सी0आर0 (किमनल) 1835 एस0सी0, बैजनाथ व अन्य बनाम स्टेट आफ एम0पी0 2016 एस0सी0, दुर्गाप्रसाद व अन्य बनाम स्टेट ऑफ एम0पी0 2010 एस0सी0, विपिन जायसवाल बनाम स्टेट आफ ए0पी0 2013 एस0सी0 प्रस्तुत की है।

अभियोजन कथानक एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर इस वाद में निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं—

1. क्या अभियुक्तगण ने मृतका से अतिरिक्त दहेज मांग कर उसके साथ शारीरिक व मानसिक क्लूरता कारित करते हुए मृतका की दहेज हत्या कारित की **अथवा** अभियुक्तगण ने अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में एकराय होकर मृतका को विष देकर उसकी मृत्यु कारित की ?
2. क्या अभियुक्तगण के दुष्प्रेरण के कारण, मृतका ने आत्म

हत्या की ?

### अवधारणीय बिन्दु संख्या-1

प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा जैनूददीन जो कि मृतका परवीन जहां का पिता है, ने दिनांक 30-9-2016 को मृतका के ससुरालीजन सरफराज पति, सास शमशूल, ससुर हामिद हुसैन, देवर सिराज व साजिद के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया कि अभियुक्तगण उपरोक्त ने उसकी पुत्री परवीन जहां को दहेज के लिये मारपीट कर जान से मार दिया है। न्यायालय द्वारा वर्तमान दोनो दाइडिक प्रकरण में अभियुक्तगण सरफराज, श्रीमती शमशूल व हामिद हुसैन के विरुद्ध धारा 498ए,304बी भा0द0स0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एंव वैकल्पिक रूप में धारा 302 सपठित धारा 34 के आरोप विरचित किये गये।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी के अन्तर्गत "दहेज मृत्यु" अपराध के आवश्यक तत्वों की विवेचना करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने शान्ति बनाम हरियाणा राज्य ए 0आई0आर01991 सुप्रीम कोर्ट 1226, गिरीश सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड 2019 सुप्रीम कोर्ट में यह अवधारित किया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी. के आरोप को सिद्ध करने के लिये अभियोजन पक्ष को मुख्य रूप से निम्न तथ्य युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना अनिवार्य है,

ए—मृतका स्त्री की मृत्यु जलने, शारीरिक उपहति क्षति अथवा सामान्य परिस्थितियों में हुई हो,

बी— मृतका स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 07 वर्ष के भीतर हुई हो,

सी—मृत्यु के ठीक पहले मृतका के पति अथवा किसी रिश्तेदार के द्वारा मृतका के साथ कूरता या उत्पीड़न का व्यवहार किया गया हो,

डी—ऐसा उत्पीड़न दहेज की मांग अथवा उसके सम्बन्ध में हुआ हो

ई— ऐसा उत्पीड़न मृत्यु के तत्काल पूर्व होना चाहिए।

माननीय न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था में "सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा" की व्याख्या करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि उपरोक्त का अर्थ यह है कि **death not in usual course but apparently under suspicious circumstances, if not caused by burns or bodily injury.**

इस प्रकरण में मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि धारा 304बी. भा0द0स0 के अपराध के सिद्ध करने के लिये जो आवश्यक तत्व उपरोक्त में वर्णित किए गए हैं वे वर्तमान प्रकरण में अभियोजन की ओर से साबित किए गए हैं ? धारा 304बी के आवश्यक तत्वों के सिद्ध किये जाने पर ही न्यायालय धारा 113बी. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा किए जाने हेतु अग्रसर होगा। इसके

And

लिये धारा 304 बी भा.दं.सं के समस्त आवश्यक तत्वों का वर्तमान आपराधिक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में विचार करना होगा जो निम्नवत हैं—

**क्या मृतका परवीन जहां की मृत्यु जलने शारीरिक चोट से या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई है?**

इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया गया। सर्वप्रथम वादी मुकदमा जैनूद्दीन ने अपनी तहरीर प्रदर्श क-1 में मृतका की मृत्यु के बारे में यह कथन किया कि उसकी बेटी की दिनांक 30.09.2016 की सुबह छः बजे उसे खबर मिली की उसकी लड़की को सभी अभियुक्तगण ने एक राय होकर दहेज की मांग को लेकर जान से मार दिया है। वादी मुकदमा ने अपनी तहरीर में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं किया। प्रथम बार वादी मुकदमा जब न्यायालय के समक्ष पी0डब्लू0-1 के रूप में प्रस्तुत हुआ तो उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अपनी तहरीर का समर्थन करते हुए यही कहा कि सभी मुल्जिमान ने एक राय होकर दहेज की मांग को लेकर परवीन जहां को मार दिया है। साक्षी ने मुख्य परीक्षा में भी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं किया, परन्तु प्रतिपरीक्षा के दौरान वादी मुकदमा ने यह कहा कि..... उसकी बेटी ने चूहे मार दवाई धोखे से खा ली थी उसकी दवाईया व चूहे मार दवा एक ही जगह रखी थी। उस रात मेरी बेटी रिक्शे से टकराकर गिर गयी थी। उससे उसके हाथों पर मूँह पर चोटें आयी थी। जो मेरी बेटी के शरीर पर चोटें थी वह रिक्शे से टकराने से आई हुई चोटें थी। जो मैंने देखी थी” इसके बाद वादी द्वारा पुलिस को सूचना दिये जाने पर पुलिस एवं नायब तहसीलदार ने मृतका के शव का पंचनामा प्रदर्श क-2 तैयार किया। पंचनामा प्रदर्श क-2 में यह अंकित किया गया कि.....  
मृतका परवीन जहां की मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। उसकी मृत्यु का कारण जानने के लिये शव का पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक है। पंचनामा तैयार करते समय मृतका के शरीर पर चौटे भी पायी गयी।..... तदनुसार चालान लाश शवाकृति, चिटठी सी0एम0ओ0. आदि प्रपत्र तैयार करते हुए मृतका परवीन जहां की लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतका परवीन जहां के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 30.09.2016 समय 04:45 पी0एम0 को जिला चिकित्सालय मुरादाबाद के चिकित्सकगण के पैनल द्वारा किया जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या 12 डा. शेर सिंह कक्कड़ ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-3 तैयार की। मृतका के शव परीक्षण के सम्बन्ध में चिकित्सक साक्षी द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा कि .... मृतका की मृत्यु पूर्व जो चोटें थी उसके साथ मारपीट करने से आ सकती है। इस सम्बावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि मारपीट के समय पीड़िता को घसीटा हो तो भी यह खरौचें चोटे आ सकती

है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पत्रावली पर पेपर संख्या 5/45 में बिसरा के भागों कम संख्या 1 ता 5 में एल्मोनियम फरस्फाईड विष पाया गया परन्तु ये कम संख्या 6 व 7 में अंकित नमूने में नहीं था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार मृतका के बिसरा में एल्यूमिनीयम फास्फाईड जहर पाया गया। मृतका की आयु उसकी मृत्यु के समय मात्र 27 वर्ष की थी। इस प्रकार उसकी मृत्यु विष का सेवन करने से हुई थी। अतः मौखिक एवं चिकित्सीय साक्ष्य व विधि विज्ञान प्रयोगशाल द्वारा प्रस्तुत आख्या से स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में विषपान के कारण हुई इसलिये 304बी का प्रथम तत्व इस प्रकरण में पूर्णतः सिद्ध है।

जहां तक इस तथ्य का सम्बन्ध है कि क्या मृतका परवीन जहां की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई है, के सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण की घटना दिनांक 30.09.2016 की है। वादी मुकदमा द्वारा पुलिस को दी गयी तहरीर प्रदर्श क-1 में यह कहा गया है कि..... उसने अपनी बेटी परवीन जहां की शादी अरसा करीब 5 साल पूर्व सरफराज से की थी। विवेचक को दिये धारा 161 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत दर्ज किये गये व्यानों में भी मृतका परवीन जहां की शादी सरफराज के साथ घटना से लगभग पांच साढे पांच वर्ष पूर्व होना बताया गया है। वादी मुकदमा जैनुद्दीन ने जब न्यायालय में अपना बयान पी.डब्लू-1 के रूप में दिया तो उसमें भी कहा है कि—

“मेरी बेटी परवीन जहां की शादी साढे पांच वर्ष पूर्व सरफराज पुत्र हामिद हुसैन, निवासी गली नं01 रहमतनगर करुला थाना कटघर के साथ की थी” अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षियों द्वारा भी इस तथ्य का समर्थन किया है। बचाव पक्ष ने इस बिन्दु पर अभियोजन साक्षियों से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की और न ही बचाव पक्ष द्वारा इस बिन्दु पर कोई विवाद व्यक्त किया। अतः अभियुक्तगण की ओर से इस तथ्य से इन्कार नहीं किया गया है कि मृतका परवीनजहां का विवाह अभियुक्त सरफराज से उसकी मृत्यु होने से लगभग पांच वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार धारा 304बी का यह तत्व सिद्ध है कि मृतका परवीन जहां की मृत्यु दिनांक 30.09.2016 को उसकी अभियुक्त सरफराज से शादी के 07 वर्ष के भीतर हुई है।

क्या मृतका परवीन जहां के साथ विवाह के उपरान्त दहेज की मांग को लेकर उसके पति या रिश्तेदारों द्वारा कूरता या उत्पीड़न का व्यवहार किया गया था ?

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृतका के पति व उसके ससुराली जनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतका के साथ उसके मृत्यु से पूर्व कूरता की गई थी ?

अपनी मुख्य परीक्षा में वादी ने यह कथन किया है कि .....मेरी बेटी के पति सरफराज, सास श्रीमती शमशूल, ससुर हामिद हुसैन, देवर सिराज और साजिद शादी में दिये गये दान दहेज से प्रसन्न नहीं थे। वह मेरी बेटी से एक लाख रुपये नकद व एक कार की मांग करते थे तथा उसके साथ गाली गलौच व मारपीट करते थे।... परन्तु इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह तथ्य स्वीकार किया है कि “मुल्जिमान से कभी भी मेरी बेटी से या मुझे दहेज की मांग नहीं की थी मेरी बेटी को मुल्जिमानों ने कभी न तो मारा पीटा न गाली दी थी।” साक्षी ने अभियोजन कथानक व मुख्यपरीक्षा में किये गये कथनों का अपनी प्रतिपरीक्षा में समर्थन नहीं किया अपितु अभियोजन कथानक व मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों के विपरीत कथन किये हैं, जिससे साक्षी के साक्ष्य कथनों पर विश्वास किया जाना न्यायोचित नहीं है। पी.डब्लू-1 के अतिरिक्त अन्य जो साक्षीगण अभियोजन ने तथ्य के परीक्षित कराये हैं, उनमें से किसी ने भी मृतका को दहेज के लिये प्रताड़ित कर मारपीट किये जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है।

यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में मृतका परवीनजहां के शरीर पर मृत्यु पूर्व 8 चोटें आना चिकित्सक साक्षी ने बताया है, परन्तु उक्त चोटें मृतका परवीनजहां को अभियुक्तगण ने दहेज की मांग को लेकर उसे पहुंचाई हो, यह तथ्य अभियोजन साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता है।

**क्या मृतका परवीन जहां से कूरता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व (soon before death) हुआ है ?** इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर मृत्यु पूर्व आठ चोट होना प्रदर्शित किया गया है। परन्तु ये चोटें मृतका की मृत्यु के ठीक पूर्व की थी, इस बारे में अभियोजन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। मृत्यु शीघ्र-पूर्व “(soon before death) एक आपेक्षिक शब्द है, जिसे भारतीय दण्ड संहिता स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके लिये कोई विशेष अभिकथन नहीं किया जा सकता है कि कौन सा समय घटना के “ठीक पूर्व” की अवधि गठित करेगा यह सुरक्षाप्रिय है कि मृत्यु के कुछ समय या शीघ्र पूर्व का तात्पर्य है कि मृत्यु के समय तक उक्त दहेज की मांग या प्रताड़ना का मृतका स्त्री के मन पर असर विघ्मान रहे जैसा कि निर्णयज विधि सुरविन्द्र सिंह बनाम स्टैट आफ हरियाणा (2014) एस.सी.सी.129 में अभिव्यक्त किया गया है।”

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णयज विधि दुर्गा प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2010 (9) एस.एस.सी.73 में अवधारित किया है कि.... धारा 113ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत उपधारणा उक्त स्थिति में की जा सकती है जबकि अभियोजन द्वारा

धारा 304बी. भा०दं०सं० के समस्त तथ्य सिद्ध किये गये हैं तथा अभियोजन द्वारा स्वाभाविक या दुर्घटनावश मृत्यु की सम्भावना का खण्डन किया गया है तो ऐसी स्त्री की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिप्रेक्ष्य के भीतर आती है।....

उपरोक्त वर्णित विवेचन के आधार पर दहेज की मांग को लेकर मृतका के साथ कूरता किया जाना व तंग व परेशान किये जाना सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में धारा 304बी भा०दं०सं० के आवश्यक तत्व सिद्ध होना नहीं पाये जाते हैं। इस लिये धारा 113 ख. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होंगे और इस धारा के अन्तर्गत की जाने वाली उपधारणा के आधार पर अभियुक्तगण पर यह भार अधिरोपित नहीं होगा कि वह स्वयं पर लगाये गये आरोपों को से स्वयं निर्दोष सिद्ध करें। इस प्रकार प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर मृतका के साथ कूरता किया जाना व उसकी दहेज मृत्यु कारित करने के आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं होते हैं।

जहां तक धारा 302/34 भा.द.स. के आरोप का सम्बन्ध है, तो अभियोजन प्रपत्रों से प्रकट होता है कि मृतका की मृत्यु का कारण पंचनामे के समय ज्ञात नहीं हो सका और मृतका के शव को शवविच्छेन हेतु भेजा गया। मृतका के शव की पहंचान उसके पिता द्वारा की गई। बाह्य परीक्षण में मृतका के शरीर पर 08 चोटें पाई गई। प्रकरण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट कागज संख्या 5/45 के अनुसार मृतका के बिसरा में एल्यूमीनियम फास्फाईड जहर पाया गया। जिससे प्रकट होता है कि या तो मृतका को अभियुक्तगण ने उक्त विष दिया अथवा मृतका ने किसी अन्य कारण से मजबूर होकर अवसाद में विषपान किया।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य में किसी अभियुक्तगण द्वारा मृतका को विष दिये जाने का कोई कथन नहीं किया गया है। पत्रावली पर अन्यथा भी ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह तथ्य प्रकट होता हो कि अभियुक्तगण ने अपने किसी सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में एकराय होकर मृतका की मृत्यु कारित करने के लिये विषपान कराकर या अन्य किसी प्रकार मृतक के शरीर में विष डाला हो। इस प्रकार उक्त आशय की साक्ष्य अभाव में यह तथ्य कि अभियुक्तगण ने विष देकर मृतका की हत्या कारित की हो, युक्तियुक्त रूप से संदेह के परे सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा 302/34 भा.द.स. भी सिद्ध नहीं होता है।

### अवधारणीय बिन्दु संख्या -2

अभियोजन की ओर से यह तर्क किया गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य भलिभांति सिद्ध है कि मृतका परवीनजहां की मृत्यु शादी के सात साल के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में कूरता के कारण उसके अभियुक्तगण के घर पर

एल्यूमीनियम फास्फाईड जहर का सेवन करने के कारण हुई है। अभियोजन की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि प्रस्तुत घटना के समय मृतका अपनी ससुराल में पति, सास व ससुर के साथ रह रही थी, जहां पहले उसके साथ गम्भीर रूप से मारपीट कर 08 चोटें पहुंचाई गई, जिससे अवसाद में आकर मृतका ने एल्यूमीनियम फास्फाईड का विषपान कर आत्म हत्या कर ली है, इसलिये अभियुक्तगण सीधे तौर पर मृतका की आत्म हत्या के लिये दोषी हैं। इसलिये प्रस्तुत प्रकरण में **113क व धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** के प्राविधान आकर्षित होते हैं जिनके अनुसार अभियुक्तगण पर यह भार है कि वे यह सिद्ध करें कि प्रश्नगत अपराध उनके द्वारा कारित नहीं किया गया है।

**धारा 113क भारतीय साक्ष्य अधिनियम** के अनुसार.... किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या की दुष्प्रेरणा के बारे में उपधारणा किये जाने का प्रानधान करती है। इस धारा के अनुसार “जब प्रश्न यह है कि क्या किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या करना या उसके पति या पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके पति कूरता की थी तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गयी थी।”

**स्पष्टीकरण-** इस धारा के प्रयोजन के लिये “कूरता” का वही अर्थ है जो भा०द०सं० की धारा 498क में है कि “किसी स्त्री के पति या नातेदार द्वारा उसके प्रति कूरता किया जाना दण्डनीय माना गया है। इस धारा के स्पष्टीकरण में कूरता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है—

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिसमें उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री(क) के जीवन अंग या स्वास्थ को, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है,

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसका या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिये प्रताड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार उसकी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

उपरोक्त धारा के में वर्णित स्पष्टीकरण (क) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि किसी स्त्री से कूरता किया जाना केवल दहेज की मांग को लेकर ही नहीं हो सकता बल्कि उसके किसी ऐसे अन्य स्वेच्छिक व्यवहार से भी होता है। जिससे परेशान होकर कोई स्त्री

आत्महत्या कर ले या अपने जीवन को अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल ले। यदि किसी स्त्री ने उसके पति या नातेदार द्वारा उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर कूरता किये जाने के कारण आत्महत्या कर ली हो तो न्यायालय यह उपधारित कर सकता है कि ऐसी आत्महत्या का उत्प्रेरण उसके पति या नातेदार द्वारा किया गया है। इस प्रकार इस मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क. के प्राविधान आकर्षित होते हैं।

इसके अतिरिक्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार.... जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम जग्गू राम (2008)12एस0सी0सी051 में यह मत प्रतिपादित किया है कि धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सन्दर्भ में अभियुक्त को ऐसे तथ्यों का स्पष्टीकरण देना होगा जोकि उसकी विशेष जानकारी में है।

अभियोजन कथानक से यह तथ्य भलिभांति सिद्ध है कि मृतका परवीनजहां अभियुक्त सरफराज की विवाहित पत्नी थी और मृत्यु के समय वह अपने पति सरफराज, सास श्रीमती शमशूल व ससुर हामिद हुसैन के साथ निवास कर रही थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा व उसके अन्य परिजन मृतक की सूचना पर मृतका की ससुराल पहुंचे तो वहां उन्हें परवीनजहां की लाश मिली। पंचनामा प्रदर्श क-2 के अवलोकन से भी यही तथ्य प्रकट होता है कि पंचनामा अभियुक्तगण के निवास पर भरा गया जहां मृतका की लाश पड़ी थी, इसके अतिरिक्त घटना के नक्शा नजरी प्रदर्श क-10 एवं तमाम अभियोजन प्रलिखों से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि मृतका अपनी मृत्यु के समय अपनी ससुराल में अभियुक्तगण की अभिरक्षा में थी।

प्रकरण में बचाव पक्ष को पर्याप्त अवसर अपनी निर्दोषिता साबित करने के लिये मिले परन्तु उनके द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां तक कि अभियुक्तगण के द्वारा अपने बयान धारा 313 दं0प्र0सं0 में कोई स्पष्टीकरण इस बावत नहीं दिया गया कि मृतका परवीन जहां की मृत्यु कैसे व किन परिस्थितियों में हुई। मृतका परवीनजहां की मृत्यु के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वादी मुकदमा व अन्य साक्षीगण द्वारा ही बताया गया है जबकि वादी मुकदमा व अभियोजन के अन्य साक्षी घटना के समय वहां मौजूद नहीं थे। मृतका की मृत्यु के सम्बन्ध सर्वाधिक जानकारी अभियुक्तगण को ही हो सकती है। परन्तु उनके द्वारा स्वयं को निर्दोष सावित करने के लिये लैश मात्र भी प्रयास नहीं किया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय विधि गणेश लाल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र(1992)3 एस.सी.सी. 106 में प्रतिपादित किया है। जबकि ऐसी स्थिति में जहां मृतका की मृत्यु अभियुक्तगण

की अभिरक्षा में उसके ससुराल में हुई है। तब अभियुक्तगण का यह कर्तव्य है कि वे अपने बयान अर्त्तगत धारा 313 दं0प्र0सं0 में तर्क संगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। मात्र अभियोजन कथानक से इन्कार कर देने या गलत कह देने से अभियुक्त की निर्दोषिता साबित नहीं होगी। बल्कि यह परिकल्पना करना सुसंगत (अनुकूल) होगा कि अभियुक्त की अपनी की मृत्यु का प्रथम अपराधी है।

**स्टैट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम मीर मौहम्मद उमर व अन्य (2000)**<sup>8</sup> एस.सी.सी. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि जहां घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और अभियुक्त द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है तो यह सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त पर होगा कि उसके घर में घटित घटना का वह स्वयं जिम्मेदार नहीं है। **स्टैट आफ पंजाब बनाम करनाल सिंह (2003)** एस.सी.सी. 271 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि “अभियोजन पर ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार नहीं डाला जा सकता है जो कि असम्भव हो। यदि अभियोजन ने अपने कथानक को अपने भाग पर सिद्ध कर दिया है तो धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई तथ्य किसी विशेष व्यक्ति की जानकारी में है तो इस तथ्य को सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा।

बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षीगण के पक्षद्रोही होने का आधार लेते हुए यह प्रतिरक्षा रखी गई कि अभियोजन साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, वे सभी पक्षद्रोही हो गये हैं। वर्तमान मामले में अभियोजन साक्षीगण की पक्षद्रोही साक्ष्य से अभियुक्तगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि अभियोजन साक्षीगण न तो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रहे हैं और न ही हो सकते हैं। अभियोजन साक्षी अभियुक्तगण के गांव से दूर के रहने वाले हैं और उन्हें अभियुक्तगण की ओर से ही मृतका परवीन जहां की मृत्यु की सूचना दी गयी है। जिसके पश्चात वे मृतका की ससुराल पहुंचे हैं। परवीन जहां की मृत्यु से पूर्व वहां क्या हुआ। इस तथ्य का कोई साक्षी इन साक्षियों में से नहीं है। इसलिये अभियोजन साक्षीगण का पक्षद्रोही होना, अभियुक्तगण के लिये लाभकारी नहीं हो सकता है।

बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया कि मृतका को घटना वाले दिन रिक्षा से गिरने के कारण चोटें आई थीं, और मृतका ने दवा के स्थान पर चूहा मारने वाली दवा खा ली थी। जिस कारण उसकी मृत्यु हो गयी। ज्ञातव्य है कि उक्त सभी कथन भी अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से प्रकाश में आये हैं, ऐसा कोई बचाव अभियुक्तगण की ओर से नहीं रखा गया है। यदि मृतका को रिक्षे से गिरने के कारण चोटें लगी या मृतका का एक्सीडेण्ट हुआ था तथा उसके बाद मृतका ने दवा के स्थान पर चूहे मार दवा खा

ली थी तो सर्वप्रथम इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष को थाने में रिपोर्ट करानी थी। परन्तु अभियुक्तगण ने न तो इस बारे में थाने में कोई सूचना दी और न ही मृतका की चोटों का कोई इलाज कराया। इसके अतिरिक्त मृतका के रिक्षे से गिरने की दुर्घटना कब और कहां हुई और वह उस समय कहां जा रही थी। इन सब तथ्यों के बारे में कोई साक्ष्य न तो बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया और न ही अभियोजन साक्षीगण की पक्षद्वाही साक्ष्य में इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है यहां तक कि इस दुर्घटना का भी कोई साक्षी बचाव पक्ष ने प्रस्तुत नहीं किया है। मृतका को उसके शरीर पर आयी चोटें रिक्षा से गिरने से आयी थीं तो उसके पश्चात उसी रात मृतका ने जहर किन परिस्थितियों में खा लिया इसका कोई सूसांगत स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है। सामान्य दुर्घटना के कारण कोई 27 साल आयु की महिला जहर खाकर आत्म हत्या कर लेगी, यह सामान्य प्रज्ञा के बाहर की बात है। इसलिये रिक्षा से गिरकर मृतका को चोटें आना और फिर दवा के स्थान पर चूहे मारने की दवा खा लेना सहज एवं स्वभाविक प्रतीत नहीं होता है।

वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों से यह तथ्य प्रकट होता है कि सभी अभियुक्तगण या उनमें से किसी एक के द्वारा मृतका परवीन जहां के साथ मारपीट कर मृतका को आत्म हत्या करने के लिये दुष्प्रेरित किया गया। अब यह देखा जाना होगा कि मृतका को आत्म हत्या के लिये दुष्प्रेरित करने हेतु अभियुक्तगण में से कौन जिम्मेदार है ?

अभियोजन कथानक से यह तथ्य भलिभांति सिद्ध है कि मृतका परवीनजहां अभियुक्त सरफराज की विवाहित पत्नी थी श्रीमती शमशूल व हामिद हुसैन मृतका के सास व ससुर हैं। विवाहित स्त्री की प्रत्येक प्रकार से सुरक्षा व देखरेख का सर्वप्रथम नैतिक दायित्व उसके पति पर होता है। घटना के समय अभियुक्त सरफराज की उपस्थिति न होने का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। मृतका ने जहर खाकर आत्म हत्या की है, प्रश्नगत घटना के पूर्व पति व पत्नी के मध्य क्या क्या बातें हुए और किन बातों से मृतका आत्म हत्या के लिये दुष्प्रेरित हुई, इन बातों को या तो अभियुक्त सरफराज अच्छी तरह से जानता है अथवा मृतका, जो अब जीवित नहीं है। मृतका परवीनजहां को रिक्षे से गिरने से इतनी अधिक चोटें आयी परन्तु अभियुक्त सरफराज से पति होने के नाते न तो इसका इलाज कराया और न ही उसकी देखभाल की। बल्कि उसके पश्चात मृतका के द्वारा चूहेमार दबाई खा ली गयी, लेकिन उसके पश्चात भी कोई कार्यवाही अभियुक्त सरफराज के द्वारा नहीं की गयी। यहां तक कि मृतका के पोस्टमार्टम के समय उसकी शिनाख्त करने वाले व्यक्तियों में भी वह शामिल नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका परवीनजहां के साथ उसका भाई मौजूद हुसैन व मकशूद हुसैन मौजूद थे।

अभियुक्त सरफराज के इस आचरण से ही यह स्पष्ट होता है कि वह मृतका के साथ हुई घटना के लिये सर्वाधिक उत्तरदायी है। इस प्रकार प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त सरफराज के विरुद्ध यह अवधारणा किया जाना न्यायोचित है कि उसने मृतका परवीनजहां के साथ मारपीट कर आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित किया है।

जहां तक अभियुक्तगण श्रीमती शमशुल व हामिद हुसैन का उक्त अपराध में भूमिका का प्रश्न है वे मृतका के सास ससुर हैं उनके विरुद्ध किसी प्रकार की प्रत्यक्ष साक्ष्य इस सम्बन्ध में नहीं है। उनके द्वारा मृतका के साथ कूरता की गयी और उसे आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित किया गया हो। इसलिये अभियुक्तगण श्रीमती शमशुल व हामिद हुसैन को मृतका को आत्महत्या करने के लिये दोषी ठहराया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अभियुक्त सरफराज को धारा 306 भा०द०सं० के अन्तर्गत के अन्तर्गत आरोप विरचित न किये जाने की दशा में दण्डित किया जा सकता है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 306 भा.द.स. का आरोप विरचित नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में दं०प्र०सं० की धारा **222(2)** सुसंगत होगी—

**धारा 222(2)दं०प्र०सं०** यह अनुध्यात करती है कि..... जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया और ऐसे तथ्य साबित कर दिये जाते हैं जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं तब वह छोटे अपराध के लिये दोष सिद्ध किया जा सकता है। यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था।

ए०आई०आर० 2003 एस०सी०2865 हीरा लाल व अन्य बनाम स्टेट आफ एन०सी०टी० दिल्ली, 2013(7) एस०सी०सी० 108, गुरनेव सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब, में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि .....यदि अभियोजन किसी स्त्री की मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग को लेकर कूरता किया जाना साबित नहीं करता है तो आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिये धारा 306 भा०द०सं० के अन्तर्गत दोष सिद्ध किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में धारा 113क भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा अभियुक्त सरफराज के विरुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त वर्णित समस्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण श्रीमती शमशुल व हामिद हुसैन के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी. व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा विकल्प में विरचित किये गये आरोप अन्तर्गत धारा 302/34 भा.द.स. व अभियुक्त सरफराज के विरुद्ध धारा 304बी व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, विकल्प में लगाये गये धारा 302/34 भा०द०सं० के आरोपों को युक्तियुक्त रूप से संदेह के परे सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त वर्णित धाराओं के आरोपों

से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त सरफराज के विरुद्ध मृतका के साथ कूरता कर मारपीट किये जाने व आत्म हत्या करने के लिये दुष्प्रेरित किये जाने का अपराध सिद्ध होता है, जिसके लिये अभियुक्त सरफराज को अपराध अन्तर्गत धारा 498ए व 306 भा.द.स. के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

अभियुक्त सरफराज इस प्रकरण में जिला कारागार में निरुद्ध है वह आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है। उसे दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु दिनांक 01.02.2020 को जिला कारागार मुरादाबाद से तलब किया जावे।

दिनांक-31-01-2020 (नीतू यादव)

## अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या 13 मुरादाबाद ।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक-31-01-2020 (नीतू यादव)

अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या 13

મુરાದાબાદ |  
અર્દોચીની ૨૦૨૧

01.03.2020—

आज पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। अभियुक्त सरफराज आज न्यायिक अभिरक्षा में जेल से हाजिर आया, उसकी ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता व जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को दण्ड के प्रश्न पर सना गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्ति किया गया कि अभियुक्त सरफराज की आयु लगभग 35 वर्ष है। उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसके माता पिता अत्यन्त बृद्ध हैं। यह उसका प्रथम अपराध है। इसके पूर्व उसे किसी अन्य अपराध के लिये दोष सिद्ध नहीं किया गया है। इसलिये उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जावे। जिससे कि वह अपने बच्चों की देखभाल व परवरिश कर सके।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान् जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा मृतका परवीन जहां के साथ मारपीट कर उसे चोटें पहुंचाई गयी और उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गयी। उस समय अभियुक्त के द्वारा अपने दो छोटे बच्चों के बारे में नहीं सोचा गया। जबकि अभियुक्त

पर मृतका परवीनजहां की देखभाल करने की पूर्ण जिम्मेदारी थी। उसके द्वारा किया गया अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है अतः उसे अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त सरफराज के द्वारा अपनी पत्नी मृतका परवीनजहां के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया और उसके साथ मारपीट कर उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके द्वारा स्वयं के जीवन को समाप्त कर लिया गया। वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों कों दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त सरफराज को निम्नवत दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।—

### आदेश

सत्र परीक्षण वाद सं0 73 / 2017 में अभियुक्त श्रीमती शमशूल को धारा 304बी, 498ए भा0दं0सं0 व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक आरोप धारा 302 / 34 भा0दं0सं0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। उसके जमानतनामें व बंध पत्र निरस्त कर प्रतिभूओं को उन्मोचित किया जाता है।

सत्र परीक्षण वाद सं0 595 / 2017 में अभियुक्त हामिद हुसैन को धारा 304बी, 498ए भा0दं0सं0 व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक आरोप धारा 302 / 34 भा0दं0सं0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। उसके जमानतनामें व बंध पत्र निरस्त कर प्रतिभूओं को उन्मोचित किया जाता है।

सत्र परीक्षण वाद सं0 73 / 2017 में अभियुक्त सरफराज को धारा 304बी भा0दं0सं0 व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक आरोप 302 / 34 भा0दं0सं0 के आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्त सरफराज को धारा 498ए भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास व अंकन 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की स्थिति में अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। धारा 306 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत सात वर्ष के कठोर कारावास व अंकन 10,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की स्थिति में अभियुक्त को चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

अभियुक्त सरफराज की सभी सजाएँ साथ साथ चलेंगी अभियुक्त सरफराज द्वारा इस प्रकरण में कारागार में पूर्व में व्यतीत की गयी अवधि को उनकी सजा की अवधि में समायोजित किया जायेगा।

इस निर्णय की प्रति अभियुक्तगण को अविलम्ब निःशुल्क प्रदत्त की जावे तथा निर्णय की प्रति अविलम्ब जिलाधिकारी मुरादाबाद को प्रेषित की जावे।

अभियुक्तगण का सजायावी वारण्ट तैयार कर जिला  
 कारागार मुरादाबाद भेजा जावे।

इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण सं0  
 595 / 2017 राज्य बनाम हामिद हुसैन में रखी जावे।

**दिनांक–01–02–2020 (नीतू यादव)**

अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या 13

मुरादाबाद।

**आई0डी0–6381**

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा  
 हस्ताक्षरित दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

**दिनांक–01–02–2020 (नीतू यादव)**

अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या 13

मुरादाबाद।

**आई0डी0–6381**